5 रु. Rs. 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES (court fee stamps)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

प्रकरण क्रमाक– /पुनरीक्षण/ वर्ष 2016 निग – 3058-I-16

मुन्नीलाल तनय भगवानदास अहिरवार निवासी मुड़ारा तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)

श्री ..... द्वारा आज दि. 6-9-016 को प्रस्तुत

.....पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

बनाम

1. भज्जू तनय मनसुख अहिरवार
2. श्रीमति बिट्टी पत्नी भज्जू अहिरवार

निवासीयान ग्राम टीला तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ म0प्र0 हाल निवासी ग्राम देवेन्द्रपुरा तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ म0प्र0

..गैरपुनरीक्षणकर्तागण/अनावेदकगण

(धारा 50 म0प्र0भू0 राजस्व संहिता 1959)

पुनरीक्षण प्रतिकूल न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार निवाड़ी जिला टीकमगढ़ म0प्र0 के प्रकरण कमांक– 5/A–70/10–11 में न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी जिला टीकमगढ़ म0प्र0 के द्वारा दिनांक 24.06.2016 के पारित आदेश के ।

महोदय जी,

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक की विनय सेवा में प्रस्तुत है:–

यह कि पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार निवाडी में व न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी निवाडी में आवेदक एवं गैर पुनरीक्षणकर्तागण अनावेदकगण रहे है।

यह कि पुनरीक्षण में पुनरीक्षणकर्ता को आगे आवेदक एवं गैर पुनरीक्षणकर्तागण को अनावेदकगण से सम्बोधित किया गया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3058-एक/2016 जिला टीकमगढ़ मुन्नीलाल विरूद्ध भज्जू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 5/A-70/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 24-06-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-09-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 01/2/19
सदस्य